Email | Upload.

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/2017 जयपुर, दिनांक 06.07.2017

जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

विषयः— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के संबंध में।

संदर्भः— विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.02.2016, 26.06.2016 एवं 24.02.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है। उक्त अधिनियम के तहत चयनित अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं एवं अन्य पात्र परिवारों को (बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल सहित) परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 05 किलाग्राम गेहूं 02 रूपये किलोग्राम दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में चयनित सत्यापित पात्र परिवारों एव व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए राज्य में स्थापित उचित मूल्य दुकानों पर पात्र उपभोक्ताओं की सूचियों को चस्पा करवाने, चयनित पात्र लाभार्थियों की अद्यतन सूची को अटल सेवा केन्द्र पर रखवाने एवं विभागीय हेल्प लाईन नं. 18001806030 के साथ–साथ खाद्यान्न के वितरण की मात्रा का अंकन करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलों के भ्रमण दौरान यह पाया गया है कि अधिकांश उचित मूल्य दुकान पर पात्र उपभोक्ताओं की सूचियां चस्पा नही है, ना ही विभागीय हेल्प लाईन नं. का अंकन किया हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में चयनित सत्यापित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने के साथ ही **प्रत्येक राशन डीलर द्वारा खाद्य वितरण उपरान्त दो रसीदे निकलवाने का प्रावधान किया जावें। जिसमें मूल रसीद लाभार्थी को दी जावे एवं द्वितीय प्रति (कार्बन कापी) डीलर अपने पास सुरक्षित रखें। राज्य में स्थापित उचित मूल्य दुकानों पर पात्र उपभोक्ताओं का सूचियों को चस्पा करावें एवं चयनित पात्र लाभार्थियों की डीलरवार तीन अद्यतन सूची मय वाईडिंग कराकर एक प्रति उचित मूल्य दुकान पर, एक प्रति ग्राम पंचायत/अटल सेवा केन्द्र/निकाय पर एवं एक प्रति रसद कार्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित करें।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यदि भविष्य में इन सूचियों में संशोधन होता है तो संशोधित सूचियां अटल सेवा केन्द्र पर उपलब्ध कराई जावें। इसमें विभागीय **हेल्प लाईन नं. 18001806030** एवं खाद्यान्न की वितरण की मात्रा का भी अंकन करावे जिससे योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं में पारदर्शिता बनी रहे।

(मणीश तिवारी)
सहायक आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपिः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. रक्षा पत्रिका।

सहायक आयुक्त (खाद्य)

E mail / Upload.

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(7)खा.वि./आवंटन/2017 जयपुर, दिनांक 06.07.2017

जिला रसद अधिकारी,
समस्त, राजस्थान।

विषयः– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता के संबंध में।

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.02.2016, 26.06.2016 एवं 24.02.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू है। उक्त अधिनियम के तहत चयनित अन्त्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूं एवं अन्य पात्र परिवारों को (बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल सहित) परिवारों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 05 किलाग्राम गेहूं 02 रूपये किलोग्राम दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में चयंनित सत्यापित पात्र परिवारों एव व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए राज्य में स्थापित उचित मूल्य दुकानों पर पात्र उपभोक्ताओं की सूचियों को चस्पा करवाने, चयनित पात्र लाभार्थियों की अद्यतन सूची को अटल सेवा केन्द्र पर रखवाने एवं विभागीय हेल्प लाईन नं. 18001806030 के साथ–साथ खाद्यान्न के वितरण की मात्रा का अंकन करवाने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलों के भ्रमण दौरान यह पाया गया है कि अधिकांश उचित मूल्य दुकान पर पात्र उपभोक्ताओं की सूचियां चस्पा नही है, ना ही विभागीय हेल्प लाईन नं. का अंकन किया हुआ है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में चयनित सत्यापित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाये रखने के साथ ही **प्रत्येक राशन डीलर द्वारा खाद्य वितरण उपरान्त दो रसीदे निकलवाने का प्रावधान किया जावें। जिसमें मूल रसीद लाभार्थी को दी जावे एवं द्वितीय प्रति (कार्बन कापी) डीलर अपने पास सुरक्षित रखें। राज्य में स्थापित उचित मूल्य दुकानों पर पात्र उपभोक्ताओं का सूचियों को चस्पा करावें एवं चयनित पात्र लाभार्थियों की डीलरवार तीन अद्यतन सूची मय वाईडिंग कराकर एक प्रति उचित मूल्य दुकान पर, एक प्रति ग्राम पंचायत/अटल सेवा केन्द्र/निकाय पर एवं एक प्रति रसद कार्यालय में रखवाया जाना सुनिश्चित करें।** साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जावे कि यदि भविष्य में इन सूचियों में संशोधन होता है तो संशोधित सूचियां अटल सेवा केन्द्र पर उपलब्ध कराई जावें। इसमें विभागीय **हेल्प लाईन नं. 18001806030** एवं खाद्यान्न की वितरण की मात्रा का भी अंकन करावे जिससे योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं में पारदर्शिता बनी रहे।

(मणीश तिवारी)
सहायक आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपिः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
4. रक्षा पत्रिका।

सहायक आयुक्त (खाद्य)